

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा/औरंगाबाद/सहरसा/गया/मधुबनी/जमुई/पूर्वी चम्पारण /नवादा /सारण /कैमूर/
रोहतास/ बाँका/ नालंदा।

पटना-15, दिनांक- 24/8/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹323.424 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख बेयालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़ -चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान
(राशि रूपये लाख में)

क्र 0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मधेपुरा	2	1	3	156.686 (एक करोड़ छप्पन लाख अड़सठ हजार छः सौ)	8.757 (आठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ)	165.443 (एक करोड़ पैसठ लाख चौवालीस हजार तीन सौ)	सामुहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, वज्रपात
2	औरंगाबाद	3	0	0	33.093 (तेतीस लाख नौ हजार तीन सौ)	12.00 (बारह लाख)	45.093 (पैंतालीस लाख नौ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात
3	सहरसा	3	1	0	277.247 (दो करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार सात सौ)	12.043 (बारह लाख चार हजार तीन सौ)	289.29 (दो करोड़ नवासी लाख उनतीस हजार)	सामुहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
4	गया	13	2	2	108.342 (एक करोड़ आठ लाख चौतीस हजार दो सौ)	52.686 (बावन लाख अड़सठ हजार छः सौ)	161.028 (एक करोड़ इकसठ लाख दो हजार आठ सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामुहिक सड़क दुर्घटना


24/8/17

5	मधुबनी	6	0	0	80.00 (अस्सी लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	104.00 (एक करोड़ चार लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
6	जमुई	5	0	0	44.00 (चौवालीस लाख)	20.00 (बीस लाख)	64.00 (चौसठ लाख)	वज्रपात
7	पूर्वी चम्पारण	33	4	0	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)	132.172 (एक करोड़ बत्तीस लाख सतरह हजार दो सौ)	276.172 (दो करोड़ छिहत्तर लाख सतरह हजार दो सौ)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	नवादा	2	0	0	76.00 (छिहत्तर लाख)	8.00 (आठ लाख)	84.00 (बौरासी लाख)	पानी में डूबने से
9	सारण	1	0	0	72.00 (बहत्तर लाख)	4.00 (चार लाख)	76.00 (छिहत्तर लाख)	वज्रपात
10	कैमूर	3	0	11	92.00 (बानवे लाख)	13.68 (तेरह लाख अड़सठ हजार)	105.68 (एक करोड़ पाँच लाख अड़सठ हजार)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
11	रोहतास	4	0	0	136.127 (एक करोड़ छत्तीस लाख बारह हजार सात सौ)	16.00 (सोलह लाख)	152.127 (एक करोड़ बावन लाख बारह हजार सात सौ)	पानी में डूबने से
12	बाँका	1	0	0	72.00 (बहत्तर लाख)	4.00 (चार लाख)	76.00 (छिहत्तर लाख)	वज्रपात
13	नालंदा	4	2	0	148.299 (एक करोड़ अड़तालीस लाख उनतीस हजार नौ सौ)	16.086 (सोलह लाख आठ हजार छः सौ)	164.385 (एक करोड़ चौसठ लाख अड़तीस हजार पाँच सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
कुल योग		80	10	16	1439.794 (चौदह करोड़ उनचालीस लाख उनसी हजार चार सौ)	323.424 (तीन करोड़ तेईस लाख बेयालीस हजार चार सौ)	1763.218 (सतरह करोड़ तिरसठ लाख इक्कीस हजार आठ सौ)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 487 दिनांक 10.08.17, 522 दिनांक 19.08.17 एवं 521 दिनांक 19.08.17/औरंगाबाद के पत्रांक 465 दिनांक 08.08.17 एवं 466 दिनांक 08.08.17 /सहरसा के पत्रांक 84-1 दिनांक 10.08.17, 316-2 दिनांक 22.08.17 एवं 315-2 दिनांक 22.08.17/गया के पत्रांक 2155 दिनांक 10.08.17, 2156 दिनांक 10.08.17, 129 दिनांक 04.08.17, 133 दिनांक 17.08.17, 134 दिनांक 17.08.17, 135 दिनांक 17.08.17, 136 दिनांक 17.08.17, 2304 दिनांक 21.08.17 एवं 2305 दिनांक 21.08.17 /मधुबनी के पत्रांक 457 दिनांक 03.08.17/जमुई के पत्रांक 150 दिनांक 08.08.17/पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 125 दिनांक 16.05.17, 124 दिनांक 16.08.17 एवं 123 दिनांक 16.08.17 /नवादा के पत्रांक 292 दिनांक 08.08.17 /सारण के पत्रांक 722 दिनांक 29.07.17 /कैमूर के पत्रांक 396 दिनांक 16.08.17, 397 दिनांक 16.08.17 एवं 398 दिनांक 16.08.17/रोहतास के पत्रांक 278 दिनांक 17.08.17/बाँका के पत्रांक 210 दिनांक 16.08.17/नालंदा के पत्रांक 662 दिनांक 17.07.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों, मृत व्यक्तियों के आश्रितों


मुख्यशीर्ष - 2245-02-101-0016 राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान पत्रांक- 72 दिनांक- 24/8/17
ज्ञापांक- 72/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 24/8/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक- 72/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 24/8/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक- 72/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 24/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सॉख्यकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव